संख्या-835**/2023/5038/001-41-2023-51-Budget-2021**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 08 नवम्बर, 2023**

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के कतिपय पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु अवशेष/जी0एस0टी0 की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5189/मु0म0प0सं0यो0(22)/2020 दिनांक 18.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के कतिपय पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी लागत के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-130/2021/509/41-2021-51(बजट)/2021 दिनांक 17.02.2021, संख्या-256/ 2021/963/41-2021-39(बजट)/2021 टी0सी0 दिनांक 19.03.2021, संख्या-402/2021/2347/41-2021-51 (बजट)/2021 दिनांक 03.08.2021, संख्या-472/ 2021/2870/41-2021-51(बजट)/2021 दिनांक 12.10.2021 एवं संख्या-10/2022/4756/41-2021-317 (बजट)/2021 दिनांक 04.01.2022 द्वारा प्रशासकीय एवं प्रथम/द्वितीय/तृतीय/ चतुर्थ किश्त के रूप में निर्गत वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (जी0एस0टी सहित)	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	चतुर्थ किश्त	योग
1.	विधान सभा क्षेत्र खड्डा में बाबा पथलहवां शिव स्थल का पर्यटन विकास	रू0 47.16 लाख	रू0 23,58,000.00	रू0 15,01,000.00	रू0 10.36,100.00	-	रू0 38.69
2.	विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में प्राचीन शिव स्थल का पर्यटन विकास	रू0 49.04 लाख	रू0 24,52,000.00	रू0 12,26,000.00	रू0 59,000.00	रू0 8,69,500.00	रू0 46.06
3.	विधान सभा क्षेत्र तुमकुहीराज में ग्राम सभा गौरी श्रीराम स्थित हनुमान मंदिर एवं शिव मंदिर स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	रू0 48.23 लाख	रू0 24,11,000.00	रू0 6,43,000.00	रू0 7,10,584.00	-	रू0 37.64

3. उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 द्वारा उक्त प्रायोजनाओं हेतु अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र, टेण्डर लागत, जी0एस0टी0 में जमा की गयी धनराशि सम्बन्धी प्रपत्र व अन्य अभिलेख आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष/जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रयोजनाओं हेतु अवशेष/जी0एस0टी0 के रूप में निम्नांकित विवरणानुसार कॉलम-5 में अंकित कुल धनराशि रू0 10.31 लाख (रूपये दस लाख इकतीस हजार मात्र) अवमुक्त करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजनाओं हेतु प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक की धनराशि अवमुक्त न हो:-

क्र0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (जी0एस0टी सहित)	अब तक अवमुक्त धनराशि	टेण्डर लागत के आधार पर अवशेष देय धनराशि
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	विधान सभा क्षेत्र खड्डा में बाबा पथलहवां शिव स्थल का पर्यटन विकास	47.16 लाख	38.69 लाख	4.23 लाख
2.	विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में प्राचीन शिव स्थल का पर्यटन विकास	49.04 लाख	46.06 लाख	2.60 लाख
3.	विधान सभा क्षेत्र तुमकुहीराज में ग्राम सभा गौरी श्रीराम स्थित हनुमान मंदिर एवं शिव मंदिर स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	48.23 लाख	37.64 लाख	3.48 लाख
योग				10.31 लाख

5. उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तर-4 पर प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति के क्रम में भुगतान से पूर्व निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 17.02.2021, 19.03.2021, 03.08.2021, 12.10.2021 एवं 04.01.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजनाओं में अवशेष/जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था, पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,31,000 (रूपये दस लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी कुशीनगर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- उप निदेशक (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-14, गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़, मण्डल।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in